न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश , ग्वालियर

प्र०क्र०   ।११-१२ पी०बी०आर० निगरानी माल

R-1723-PBR/2011

१- राजाराम कुशवाह पुत्र स्व०श्री किशोरीलाल कुशवाह

२- हरगोविन्द कुशवाह पुत्र स्व०श्री तुलसीराम कुशवाह , दोनों निवासीगण गोसपुरा नं०२ हजीरा ,ग्वालियर

------ आवेदक गण

वनाम

१- रामसिंह मृतक वादहू वारिसान

अ- श्रीमती माधुरी देवी कुशवाह पत्नी स्व०श्री रामसिंह कुशवाह

ब- अनिल कुशवाह पुत्र स्व०श्री रामसिंह कुशवाह

स- डॉ० राकेश कुशवाह पुत्र स्व०श्री रामसिंह

द- मुकेश कुशवाह पुत्र स्व० रामसिंह कुशवाह

इ- राजेश कुशवाह पुत्र स्व० श्री रामसिंह कुशवाह समस्त निवासीगण - गोसपुरा नं०२ हजीरा ग्वालियर ।

२- मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर, ग्वालियर हाल कार्यालय स्थित ग्राम मोहदपुर , ग्वालियर

---- अनावेदकगण

श्री हरगोविन्द कुशवाह आवेदक क्र. २ द्वारा दिनांक 25.10.2011 को प्रस्तुत।

25-10-2011
ASO

हरगोविंद

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू०राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक २७-७-११ अपर आयुक्त संभाग , ग्वालियर जो प्रकरण क्रमांक ३३८ ।१०-११ । निगरानी राजाराम आदि वनाम रामसिंह आदि में पारित किया गया ।

माननीय महोदय,

आवेदक गण का निगरानी आवेदन अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत है ।-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1723–पीबीआर/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–6–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15–3–10 से उद्भूत हुई है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–3–10 को अन्तरिम आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–5–2011 को आदेश पारित कर आवेदकगण की निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–2011 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–10–2013 को प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिये जाने के कारण यह निगरानी निरर्थक होने से समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	